

फार्म बी0एम0-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन (विषय बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान सं0-21 वित्तीय वर्ष 2018-19

(धनराशि लाख रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्ताव संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
4408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	883021.68	12137.00	12137.00	12137.00	870884.68
<b>योग</b>	<b>883021.68</b>	<b>12137.00</b>	<b>12137.00</b>	<b>12137.00</b>	<b>870884.68</b>

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष क लिये उपलब्ध अनुदान /विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु कुल प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+1)
7	8	9	10 (9-8)	11	12
4408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय -01-खाद्य-800-अन्य व्यय-03- खाण्डसारी शक्कर योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	0	12137	12137	12137	12137
<b>योग</b>	<b>0</b>	<b>12137</b>	<b>12137</b>	<b>12137</b>	<b>12137</b>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नवत है:-

- (1) उक्त उपलब्ध बचत के सापेक्ष व्यय न होना।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 व 151में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

सं0-आर0ई0-39/ई-7-दस-2018 दिनांक 05 जुलाई 2018

सेवा में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

( ए0पी0 त्रिपाठी )

संयुक्त सचिव

खाद्य एवं रसद विभाग

( राजेन्द्र राम )

अनु सचिव

वित्त विभाग

सं0-29/2018 /493(2)/29-3-2018- ब 710/17 दिनांक 16 जुलाई 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन लखनऊ।
- 2- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहित रोड, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
- 6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-7 उ0 प्र0 शासन।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तीन प्रतियों में उ0 प्र0 शासन।
- 9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( ए0पी0 त्रिपाठी )

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।